पत्रांक–बि०प्र०सु०मि०सो० / विविध–12 / 2016 सो०–1298

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

सतीश रंजन सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक–26/04/2023

विषयः– **अन्तरिम व्यवस्था के तहत नियोजित कार्यपालक सहायकोंके नियोजन अवधि को विस्तारित करने के संबंध में।**

प्रसंग :– **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का अंतिम पत्रांक–1424, दिनांक–10.06.2022, आदेश ज्ञापांक–1823, दिनांक–18.07.2022 एवं पत्रांक–2529, दिनांक–18.07.2022.**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार प्रासंगिक पत्र द्वारा अंतरिम व्यवस्था अन्तर्गत नियोजित कार्यपालक सहायकों के नियोजन अवधि का विस्तार किया गया था, जो दिनांक–31.03.2023 को समाप्त हो गया है। पुनः अंतरिम व्यवस्था अन्तर्गत नियोजित कार्यपालक सहायकों के नियोजन अवधि का विस्तार दिनांक–30.09.2023 तक किया जाता है। अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजन की शेष शर्त्तें यथावत रहेगी।

माननीय उच्च न्यायायल में दायर CWJC-7459/2020 राजवीर कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–1823, दिनांक–18.07.2022 द्वारा जिन कार्यपालक सहायकों को दक्षता परीक्षा की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है, उनके मामले में उक्त आदेश ही प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

26.4.23

(सतीश रंजन सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– **बि०प्र०सु०मि०सो० / विविध–12 / 2016 सो०–1298, दिनांक–26/04/2023**

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

प्रतिलिपिः– महाप्रबंधक बेल्ट्रॉन प्रशासन, बेल्ट्रॉन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

26.4.23

विशेष कार्य पदाधिकारी

67D:\PREM Office\AO-3.docx